



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 06 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०- 84/2017 धारा-2/3 गैगस्टर एक्ट 2(b)(ii)/3 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय गैगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त चरन सिंह पुत्र संतराम निवासी जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
ए०डी०जी०सी०
सुशील कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
निरी०-शैल कुमार
सिंह



पैरोकार
थाना - मझगवां
का० अनिल कुमार